टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/2 लागू तिथि 7.10.2012

मन्धना स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक गेट संख्या 19/C को मानवित कर इन्टरलाक करने के सम्बन्ध में मन्धना स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जत/2 दिनॉक 25.4.2011 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक 27.4.2012

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया –

(क) **<u>सामान्य भाग</u>**

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 रूल डायग्राम संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 गेट सं० 19/C को जोड़कर संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 4.4 मद सं० (v), (vi) को जोड़कर संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 5 गेट सं० 19/C को जोड़कर संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6 (II) (घ) संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.1.1 संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 6.3 (ड़) संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.5 (ख) संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 6.6 (घ) संशोधित
10. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 6.6 (1) प्रस्थान सिगनल आफ करने की शर्तें पैरा (ग) संशोधित
11. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.9 (घ) जोड़कर तथा पैरा 7 की मद सं० 4 पृष्ठ संख्या 17 पर संशोधित
12. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 8.4.2 (क) संशोधित
13. परिशिष्ट ‘ग’ पृष्ठ संख्या 27A जोड़कर संशोधित
14. परिशिष्ट ‘ड़’ पृष्ठ संख्या 118 पैरा 9 जोड़कर संशोधित
15. परिशिष्ट ‘च’ पृष्ठ संख्या 118 A जोड़कर संशोधित
16. परिशिष्ट ‘छ’ पृष्ठ संख्या 118 B जोड़कर संशोधित

(ख) **<u>सिगनलिंग परिशिष्ट</u>**

(I) **<u>परिशिष्ट ‘क’</u>**

परिशिष्ट क-V गेट संख्या 19/C का सन्दर्भ पृष्ठ संख्या 78 A से 78 K तक जोड़कर संशोधित

1. गेट संख्या 1/Spl पृष्ठ संख्या 28, 29, 6, 31, 35 बदलकर संशोधित
2. गेट संख्या 16/B पृष्ठ संख्या 39, 40,, 42, 46 बदलकर संशोधित
3. गेट संख्या 18/C पृष्ठ संख्या 50, 51, 53, 57 बदलकर संशोधित
4. गेट संख्या 21/C पृष्ठ संख्या 61, 62, 63, 64, 67, बदलकर संशोधित
5. गेट संख्या 22/C पृष्ठ संख्या 71, 72, 73, 74, 77 बदलकर संशोधित

(II) **<u>परिशिष्ट ‘ख’</u>**

1\. पृष्ठ संख्या 79, 93 , 94, बदलकर संशोधित

1\. आर०डी० संख्या 17 दिनॉक 31.12.2005 आल्टरेशन ‘ ए ’ दिनॉक 21.4.2011 को आर०डी० संख्या 17 दिनॉक 31.12.2005 आरल्टरेशन ‘बी’ दिनॉक 26.4.2012 द्वारा बदलकर संशोधित

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक   सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या-इज्जतनगर/2

इज्जतनगर मण्डल

मन्धना स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी / छोटी लाइन)

जारी तिथि 25.4.2011
लागू की तिथि 5.10.2011
पुनरीक्षण की तिथि April 2016

बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक-III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/2 दिनॉक 6.1.2006 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नही करते ।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :**
सी०एस०टी०ई०/गोरखपुर की एस०आई०पी०संख्या NER/IZN/MDA/SIP/2005/VER-ZERO Alt.: L : पर आधारित इस स्टेशन का नियमारेख सं0 17 दिनाँक 31.12.2005 आल्टरेशन 'बी' दिनॉक 26.4.2012 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. **स्टेशन का विवरण** :

2.1. **सामान्य (स्थिति) :**
मन्धना स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल- कासगंज मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 18.92 किलोमीटर तथा कासगंज जं० से 228.14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है

2.2. **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथां उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :**

कल्यानपुर (पूर्व दिशा में) : 07.24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चौबेपुर (पश्चिम दिशा में) : 06.84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

ब्रहमावर्त एम०जी० (पश्चिम दिशा में) : 08.04 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति** :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंगें** :- कोई नहीं ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.3. **स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनो के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
मन्धना - चौबेपुर	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (मन्धना)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (चौबेपुर)
मन्धना - कल्यानपुर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (मन्धना)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (कल्यानपुर)
मन्धना-ब्रहमावर्त एम०जी०	अप प्रस्थान सिगनल सं० 36 (मन्धना)	सम्मुख कॉटा (ब्रहमावर्त)

2.4 **ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :**

स्टेशन की मध्य रेखा से कल्यानपुर की ओर चेनेज 617 तक 685 में 1 चढ़ता ढलान तथा उसके आगे समतल और चेनेज़ 677 तक 400 में 1 उतरता ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास (कुल 4 लाइनो) अर्थात् 3 बड़ी लााइन तथा 1 छोटी लाइन का है। बड़ी लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइने है। छोटी लाइन संख्या 1 भी परिचालित लाइन हैं।

2.5.1. **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सीएसआर)	टिप्पणी
1. बड़ी लाइन		
लाइन संख्या-1	755 मीटर	प्लेटफार्म लाइन वाली लूप लाइन
लाइन संख्या-2	686 मीटर	मेन लाइन
लाइन संख्या-3	715 मीटर	लूप लाइन
2. छोटी लाइन		
लाइन संख्या-1	300 मीटर	मेन लाइन

(ख) रनिंग लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है।

(ग) बड़ी लाइन की अप अथवा डाउन गाड़ियॉ किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

(घ) **छोटी लाइन (एम०जी०) में केवल एक लाइन है। इस खण्ड पर केवल एक गाड़ी पध्दति लागू है। मन्धना -बृहमावर्त खण्ड वर्तमान में गाड़ियों के आवागमन हेतु बन्द है।**

(ड़) रनिंग लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है तथा छोटी लाइन संख्या 1 ट्रैक सर्किटेड नहीं है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तथा होम सिगनलों के बाहर पॉच रेल की लम्बाई तक भी दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइनों के आक्यूपाइड (घिरा) होने तथा साफ होने का संकेत सूक्ष्म लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

2.5.2. **अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :** कोई नहीं।

2.5.3 **अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें :** कुछ नही।

2.6. **समपार फाटक :**

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पा-शित है या नही	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक :							
1	स्पेशल	अप प्रस्थान सिगनल संख्या S-36 तथा डाउन होग सिगनल सं० S-35 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला।	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
18	सी	डा प्रस्थान सिग० सं० S-7 तथा डा० अग्रिम प्रस्थान सिग०सं० S-11 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला।	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
19	सी	डा प्रस्थान सिग० सं० S-2 तथा अप होम सिगनल सं० S-1 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक :							
16	बी	मन्धना-कल्यानपुर के मध्य किमी० 14/4-5	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीँफोन	नहीं
21	सी	मन्धना -चौबेपुर के मध्य किमी० 20/0-1	सड़क यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
22	सी	मन्धना - चौबेपुर के मध्य किमी० 21/4-5	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट ‘‘क’’ तथा ‘क-V’’ देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगरर

3. **<u>संचालन की पद्धति एवं साधन</u> :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो कल्यानपुर तथा चौबेपुर से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है। मन्धना -ब्रहमावर्त के साथ **'केवल एक गाड़ी पध्दति'** कार्य प्रणाली लागू है। **मन्धना-बृहमावर्त के मध्य वर्तमान में गाड़ियों का संचालन बन्द है।**

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सिल काउन्टर के साथ चौबेपुर स्टेशन से सम्बद्ध इकहरी लाइन वाला डायडो टाइप टोकनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सिल काउन्टर के साथ कल्यानपुर स्टेशन के साथ सम्बध्द	असहकारी सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(विशेष रुप से सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.10, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

<u>टिप्पणी</u> : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नही अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है ।

(विशेष रुप से सहायक नियम 14.02 (v) एवं साधारण तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

4. **<u>संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति</u> :**

4.1 **<u>विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार</u>** :

मन्धना स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ बड़ी लाइन संख्या 1 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। छोटी लाइन संख्या 1 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था नहीं है। कॉटों एवं सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे पैनल से किया जाता है। कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल के माध्यम से निश्चित संकेतों द्वारा पहुँचने वाली गाड़ियों के संचलन पर नियन्त्रण रखता है।

<u>प्रदत्त सिगनल</u> :

(क) **<u>अप आगमन सिगनल :-</u>**

(1) अप डिस्टेन्ट सिगनल - होम सिगनल संख्या एस-12 के संकेतों पर आधारित

(2) जंक्शन इंडिकेटर सहित अप होम सिगनल एस-12 के संकेत निम्न हैं -

(i) अप होम सिगनल एस-12 लाइन संख्या 1 के लिये जंक्शन इंडिकेटर के साथ

(ii) अप होम सिगनल एस-12 लाइन संख्या 2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित

(iii) अप होम सिगनल एस-12 लाइन संख्या 3 के लिये जंक्शन इंडिकेटर के साथ

(ख) **<u>अप प्रस्थान सिगनल :-</u>**

i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-4 मेन लाइन संख्या-2 के लिये

ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-6 लूप लाइन संख्या-1 के लिये

iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-8 लूप लाइन संख्या-3 के लिये

iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-2 चौबेपुर छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की ''ट्रेन गोइंग टू'' स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(जे०पी०शर्मा) (जवाहर राम)

(क) **डाउन आगमन सिगनल**
(1) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल - होम सिगनल संख्या एस-1 के संकेतों पर आधारित
(2) जंक्शन इंडिकेटर सहित डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के संकेत निम्न हैं -
(i) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लाइन संख्या 1 के लिये जंक्शन इंडिकेटर के साथ
(ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लाइन संख्या 2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
(iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लाइन संख्या 3 के लिये जंक्शन इंडिकेटर के साथ

(ख) **डाउन प्रस्थान सिगनल**
i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-5 मेन लाइन संख्या-2 के लिये
ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-7 लूप लाइन संख्या-1 के लिये
iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-9 लूप लाइन संख्या-3 के लिये
iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-11 कल्यानपुर छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की ''ट्रेन गोइंग टू'' स्थिति द्वारा नियन्त्रित

अतिरिक्त सिगनल :

(i) **कालिंग आन सिगनल** :

कालिंग आन सिगनल संख्या	**विवरण**
अप कालिंग आन सिगनल सं० **सी** 10	यह अप होम सिगनल सं० एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह कल्यानपुर साइड से लाइन सं० 1, 2, 3 में आने के लिए है।
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० **सी 3**	यह डाउन होम सिगनल सं० एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह चौबेपुर साइड से लाइन सं० 1, 2, 3 में आने के लिए है।

(ii) **शंट सिगनल** :

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल सं०	किस सिगनल के नीचे स्थित है	**विवरण**
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से चौबेपुर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से कल्यानपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से चौबेपुर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से कल्यानपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से चौबेपुर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9	लाइन सं० 3 से कल्यानपुर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।

(जे०पी०शर्मा) (जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख) <u>अनाश्रित शंट सिगनल</u>

शंट सिगनल संख्या	विवरण
एस एच 31	चौबेपुर छोर से लाइन सं० 1, 2 तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।
एस एच 32	कल्यानपुर छोर से लाइन सं० 1, 2 एवं 3 में शटिंग के लिये आने हेतु।

नोट :- एम०जी० में प्रदत्त आगमन एवं प्रस्थान सिगनल निम्नलिखित हैं -
डाउन डिस्टेन्ट सिगनल - नार्मल आस्पैक्ट एक पीला
डाउन होम सिगनल सं० 35 - नार्मल आस्पैक्ट लाल है तथा पीला आस्पैक्ट गेट संख्या 1/Spl से नियन्त्रित है।
एम०जी० में अप प्रस्थान सिगनल संख्या 36- नार्मल आस्पैक्ट लाल है तथा पीला आस्पैक्ट गेट संख्या 1/Spl से नियन्त्रित है।

पुरनावर्तक (रिपीटर) : कोई नहीं ।

4.1.1(क)**स्टेशन मास्टर पैनल :-**
सभी काँटें एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते है जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते है । यह स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थित है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त है।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये है। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नही करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ अपसारी मार्ग (डाइवर्जिग रुट) इंगित करेगीं।

(घ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज़ लाक को पाशित करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है,यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलो पर नियन्त्रण वियोजित कर देता हैं। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को ‘आफ’ से ‘आन’ स्थिति में वापस कर सकता है।

(ड़) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के ‘हरे’ आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल के ‘पीले’ आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।

(च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2.1 **काँटा पुश बटन :-**
पैनल के दोनों सिरों पर कॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटें के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटे को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू० एन० (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये कॉटे के बटन के साथ आर०डब्लू० डब्लू०एन० (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। कॉटों का अलग-अलग संचालन केवल गाड़ी को कालिंग आन सिगनल पर रिसीव करने के समय ही किया जायेगा।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.3 **रेल पथ परिपथ** :- परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल से डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल और होम सिगनल के मध्य पॉच रेल की लम्बाई तक भी दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रुप में दिया हुआ है।

4.1.4 **पुश बटन रिमाइन्डर कालर :-** पुश बटन रिमाइन्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या कॉंटा या रूट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचलन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकेगा।

4.1.5 **सिगनल बटन :-** पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है, जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है, उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन के रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.5.1 **रूट बटन :-** पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाना है, उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटनों का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा। **(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिये परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 से 6 तक देखें)**

4.1.6 **<u>स्थाई रुप से ताला बन्द कॉटें/पृथक्करण (आइसोलेशन)</u> :**
यहॉ स्थायी रूप से ताला बन्द कॉटें नहीं है।

(क) **<u>मेन लाइन का आइसोलेशन</u> :-**

(i) क्रास ओवर कॉटे 201ए-201बी, एवं 202ए-202बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को चौबेपुर छोर पर आइसोलेट करते है।

(ii) क्रास ओवर कॉटे 203ए-203बी एवं 204ए-204बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को कल्यानपुर छोर पर आइसोलेट करते है।

4.1.7. **<u>विद्युत चालित कॉंटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डिल</u>** :

(क) परिचालित लाइनों पर प्रदत्त कॉंटा संख्या—201, 202, 203 एवं 204 मोटर चालित कॉटें है तथा प्रत्येक कॉटें पर विद्युत कॉंटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। मोटर संचालित कांटों की विफलता के समय कांटों को सेट करने हेतु क्रैन्क हैन्डिल का प्रयोग किया जायेगा।

कार्यरत कॉटेवाला द्वारा साधारण नियम 3.69(iii) के अन्तर्गत सेट, क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। इस दशा में कॉटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं जहॉं आवश्यक हो, पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा टी-369(3b) दिया जायेगा।

नोट :- स्टेशन मास्टर द्वारा क्रैन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी निकालने की विधि परिशिष्ट 'ख' के पैरा 6 में दी गयी है

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

क्रैन्क हैण्डिल एवं कॉटों का विवरण :-

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	क्रैन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित कॉटों की संख्या
सी०एच०-1	201A-201B
सी०एच०-2	202A-202B
सी०एच०-3	203A-203B
सी०एच०-4	204A-204B

(ख) ऐसी परिस्थिति में स्टेशन नान-इन्टरलाक समझा जायेगा । प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैन्डिल विद्युत कॉंटा मशीन द्वारा परिचालित कॉंटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारुप में प्रविष्टि अवश्य अँकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2 <u>**रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि**</u> :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए । इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिय स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए ।

4.3 <u>**विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**</u>

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य कॉंटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर इंटिग्रेटेड पावर सप्लाई की व्यवस्था की गयी है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ख' का पैरा -13 देखें।

4.4 <u>**वीडर काउन्टर**</u> :-स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर दिये गये हैं जो पैनल द्वारा सम्बन्धि संचालन के पश्चात एक अंक बढ़ जाते है :-

(i) आपात कालीन रूट रिलीज़ वीडर काउन्टर (ई०यू०यू०वाई०एन०) (EUUYN)
(ii) आपात कालीन रूट कैन्सीलेशन वीडर काउन्टर (ई०यू००वाई०एन०) (EUYN)
(iii) कालिंग आन सिगनल़ वीडर काउन्टर
(iv) सिगनल को आफ से आन करने के लिये वीडर काउन्टर (ई०जी०जी०एन०) (EGGN)
(v) दोनों ओर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र के वीडर काउन्टर अलग-अलग
(vi) दोनों ओर के एक्सल काउन्टर के वीडर काउन्टर अलग-अलग
(vii) क्रैन्क हैण्डिल़ वीडर काउन्टर

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

जब सम्बंधित स्विच को जिसके लिये ये वीडर काउन्ट प्रदत्त है, को चलाया जाता है, तब प्रत्येक बार एक उच्च संख्या वीडर काउन्टर पर उभरती है। प्रत्येक बार जब क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जाय तो वीडर काउन्ट में दर्ज संख्या को पैरा 4.1.7(ख) के कालम संख्या 6 में अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का कार्य भार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर की वास्तविक संख्या एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविश्टियॉ समान / अद्यतन सुनिश्चित की जाय।

4.5 **<u>पर्याप्त दूरी का विचलन (Deviation)</u> :-**

अनुमुख कॉटों से आगे पर्याप्त दूरी साधारण नियम 3.40(1)(बी) के अनुसार गाड़ी के रूकने के स्थान से ली गयी है ।

5. **<u>दूर संचार</u> :-** स्टेशन कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त है -

i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बध्द कन्ट्रोल टेलीफोन

ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन

iii) कल्यानपुर स्टेशन के डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बध्द साइड टेलीफोन

iv) चौबेपुर स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बध्द साइड टेलीफोन

v) ट्रफिक समपार फाटक सं० 18/सी के साथ टेलीफोन

vi) ट्रफिक समपार फाटक सं० 19/सी के साथ टेलीफोन

vii) ट्रफिक समपार फाटक सं० 1/स्पेशल के साथ टेलीफोन

viii) मन्धना-चौबेपुर के मध्य स्थित इंजी०समापार 21/सी, एवं 22/सी के साथ टेलीफोन

ix) मन्धना-कल्यानपुर के मध्य स्थित इंजी०समापार 16/बी, के साथ टेलीफोन

x) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट ‘ख’ का पैरा 11A देखें)

6. **<u>गाड़ी संचलन की कार्य प्रणाली</u> :**

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशो के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल ”आफ” किये जायेगें।

(क) **<u>गाड़ियों का आगमन</u> :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(i). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नही जल रहा है।

(ii) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित है, लाइन निम्न दूरी तक साफ होनी चाहिए :-

(1) **<u>अप गाड़ियों के लिए</u> :**

(i). लाइन सं0 1 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(ii). लाइन सं. 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ii) **<u>डाउन गाड़ियों के लिए</u> :**

(i) लाइन संख्या .1 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ii). लाइन संख्या .2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन सं 1, 2 या 3 पर लेते समय गेट सं० 18/सी को बन्द एवं लाक किया जायेगा। गेट नियंत्रण बटन 551 को लाक्ड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा। इसी प्रकार डाउन गाड़ी लाइन सं० 1 या 2 या 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट सं० 19/सी एवं 18/सी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 लाक्ड स्थिति में दबायें। इसका इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा। गेट सं० 19/सी के मामले में गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके चाबी आर को लीवर लाक में लगाकर घुमा देने के बाद स्टेशन मास्टर पैनल पर इंडिकेशन मिलेगा।

एम०जी० में डाउन गाडी लाइन संख्या 1 पर लेते समय गेट सं० 1/स्पेशल को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियंत्रण बटन 552 को लाक्ड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा।

(ड़) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगीं।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल ''आन'' स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तब यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।

(ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं । और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों को अवरूध्द लाइन के लिये सैट करें। यदि गाड़ी क्रासिंग के लिये रूकी है तो दोनों ओर के कॉटें अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। तत्पश्चात पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें। (ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये साधारण एवं सहायक नियम 5.19 देखिये)

नोट :- ऐक्सिल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जानी वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.1, 4.2 एवं 4.3 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, कॉटावाला एवं गेटमैन के कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट 'घ' में देखें ।

6.1.1. **प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी** :

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सॉध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉंटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **लाइनों का क्लीयरेन्स सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :**

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदत्त रेल पथ परिपथों के संकेतों कें माध्यम से गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये होम सिगनलों के अन्दर परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता तथा बल्बों के फ्यूज़ होने की स्थिति में लाइनो का क्लीयरेंस ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन के व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा किया जायेगा तथा कॉंटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा।
(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii),3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन** :

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रुप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारुप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रुप से देगें ।

(विशेष रुप से सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली का पैरा 3003 देखें)

6.2. **लाइन क्लीयर देने की शर्तें :**

लाइन तब तक साफ नही समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि :

(क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(घ) अप गाडियों के मामले में समपार फाटक सं० 16/बी, के फाटक वालों को तथा डाउन गाडियों के मामले में समपार फाटक सं० 21/सी, एवं 22/सी के फाटक वाले को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा0 एवं सहा0नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) (ii) तथा सहा0 नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्ते :- कोई नहीं।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरूध्द कॉंटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरूध्द हो, तो दोनों छोरों के कॉंटें अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरूध्द लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a)(b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-
इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना
कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्ते :

(क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो ।

(ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉंटें वॉछित लाइन के लिये सेट और पाशित हो ।

(ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख कॉंटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।

(घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन पर क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।

(ड़) अप गाड़ी को लाइन संख्या 1 या 2 या 3 पर लेते समय सुनिश्चित करें कि समपार संख्या 18/सी को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियन्त्रण बटन 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया है जिसका इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा। इसी प्रकार डाउन गाड़ी को लाइन सं० 1 या 2 या 3 में मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट संख्या 19/सी तथा 18/सी को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द एवं लाक करके गेट नियन्त्रण बटन 551 को लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे स्टेशन पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन दिखायी देगा। गेट सं० 19/सी के मामले में गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके चाबी लीवर लाक में लगाकर घुमा देनें के बाद स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन प्राप्त हो जायेगा।

(च) एम०जी० में डाउन गाड़ी लाइन सं० 1 में लेते समय गेट संख्या 1/स्पेशल का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करके गेट नियन्त्रण बटन 552 को लाक्ड स्थिति में दबायें जिससे गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.3.1 <u>''आफ'' किये गये सिगनल को पुनः ''आन'' करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व</u> :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 **<u>गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना</u>** :-

(क) (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन और,
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या ,
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन और,
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

(iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन और,
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

(iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन और,
अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 <u>गाड़ियो का पूर्ण आगमन</u> :-

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है

(ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के सम्बन्ध में गेट सं० १८ध्सी पर कार्यरत गेटमैन का कर्तव्य हो गा कि वह गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना टेलीफोन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करे तथा अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करे। अप गाड़ी के LV/TL के मामले में अप गाड़ी अपूर्ण आने पर एवं डाउन गाड़ी आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर इस उद्देश्य हेतु स्टेशन के किसी कर्मचारी द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका के निर्धारित प्रपत्र टी/1410 पर गाड़ी के गार्ड से ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर पर गाड़ी का पूर्ण आगमन रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण प्रत्र प्राप्त नहीं कर लेता।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

(अतल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक   सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2   मन्धना

6.6 **गाड़ियों का प्रस्थान** :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :–

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।

(ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नही जल रहा है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) अप गाड़ी के प्रस्थान के मामले में गेट सं० 21/सी तथा 22/सी पर कार्यरत गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित अनुदेशानुसार सूचित कर दिया गया है । **चौबेपुर** को अप गाड़ी के प्रस्थान हेतु गेट सं० 19/सी को सम्बन्धि गेट परिशिष्ट के अनुसार बन्द कर दिया गया है तथा पैनल पर इस आशय का इंडिकेशन मिल गया है। एम०जी० में अप गाड़ी के मामले में ट्रैफिक गेट सं० 1/स्पेशल को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण बटन 552 लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है तथा पैनल पर बन्द का इंडिकेशन आ गया है।

इसी प्रकार डाउन गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि गेट सं0 16/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है तथा ट्रैफिक गेट संख्या 18/सी को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण बटन 551 लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया है और गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर आ गया है।

(ड.) पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल रिलीज लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये ।

(च) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगीं।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाडियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।

(ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पंहुचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल ''आन'' हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण रुप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(झ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

6.6(1) **प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्ते :**

(क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।

(ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।

(ग) अप गाड़ी के प्रस्थान के मामले में गेट सं० 21/सी तथा 22/सी पर कार्यरत गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित अनुदेशानुसार सूचित कर दिया गया हो । **चौबेपुर को अप गाड़ी के प्रस्थान हेतु गेट सं० 19/सी को सम्बन्धि गेट परिशिष्ट के अनुासार बन्द कर दिया गया है तथा पैनल पर इस आशय का इंडिकेशन मिल गया हो।** एम०जी० में अप गाड़ी के मामले में ट्रैफिक गेट सं० 1/स्पेशल को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण बटन 552 लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया हो तथा पैनल पर बन्द का इंडिकेशन आ गया हो।

इसी प्रकार डाउन गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि गेट सं0 16/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया हो तथा ट्रैफिक गेट संख्या 18/सी को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियन्त्रण बटन 551 लाक्ड स्थिति में दबा दिया गया हो और गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर आ गया हो।

(घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित मार्ग का क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।

6.6.1 **सतर्कता आदेश (काशन आर्डर T- 409) जारी करना :**

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रुप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अर्न्तगत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा । (विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. **गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :**

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतया परिचालित लाइन संख्या 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।

(ख) यदि यह आवश्यक हो कि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके सीधे जायेगी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रतिबन्धित गति से इसकी अनुमति दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में स्टार्टर सिगनल ऑफ आस्पैक्ट तभी ग्रहण करेंगें जब गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी।

(ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिगं अवश्य बन्द कर दी जाय और साधारण तथा सहायक नियम 5.23 का अनुपालन करते हुए बराबर की लाइनो पर किसी भी वाहन / वैगन जो बिना इंजन के हों को सुरक्षित कर दिया जायं।

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को"आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी क्रू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये । इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन क्रू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये ।

(विशेष रुप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)

(ड़) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी । (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

(विशेष रुप से साधारण नियम 4.10, साधारण एवं सहायक नियम 4.11 और सहायक नियम 5.01(5) देखें)

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.8 **विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-**

कॉटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें । स्पष्ट किया जाता है कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(b) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट / पोजीशन लाइट होने के कारण दिन-रात अनवरत प्रकाशित होते है। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये। परिशिष्ट 'ख' का अनुलग्नक-II देखें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 **ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-**

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों कें संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा ।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर आ रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति मे कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नही है

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ध) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नही है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा कि सिक्योरिंग के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर एक्सचेन्ज करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित कॉटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया हैं, उसका समुचित विवरण लिखेगा। विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनों (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहनध्वाहनोंध्लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाय तथा लकड़ी के दो-दो गुटके भी दोनों छोरों पर लगाये जाय।

(i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहॉ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खाडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खातरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खातरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खाड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

<u>टिप्पणी</u> :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खाड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियॉ बरतनी आवश्यक है :-

(क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(खा) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।

(ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

(घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

2. जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायें :-

(क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगेहुए स्टॉक की शंटिग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन गति प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(खा) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़े में पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन गति प्रति घन्टा 2.4 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8. **शन्टिग :**

शन्टिग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें ।

8.1. **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिग :** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तो का पालन करते हुये शन्टिग की अनुमति है :-

i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।

iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो ।

iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति के साथ- साथ शंटिंग चाबी भी दी जाय ।

(ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिग** : निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।

iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा

iv) चालक को शन्टिग आदेश के साथ - साथ सम्बन्धि शंटिंग चाबी भी दी जानी चाहिये ।

8.2. **आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिग :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनलों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।

(ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-

i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

ii) सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा

iii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिग :**

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तो के साथ शन्टिग की अनुमति है :-

i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।

ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।

iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिग का प्रभारी हो ।

iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर देने के साथ शंटिंग चाबी भी दी जाय।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.4.1. **शन्टिग पर प्रतिबन्ध** : कोई नहीं

8.4.2. **शन्टिग का कोई विशेष पहलू** :

(क) कल्यानपुर की ओर शंटिंग करते समय गेट संख्या 18/सी तथा ब्रहमावर्त की ओर शंटिग करते समय गेट संख्या 1/Spl तथा चौबेपुर की ओर शंटिंग के समय गेट संख्या 19/सी को सड़क यातायात के विरूध्द बन्द एवं पाशित कराकर पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करे।

(ख) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सहीं-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एंवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात वैगनों / वाहनों के कपलिंग की जॉच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

(ग) अप तथा डाउन शंटिंग चाबियॉ स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक अलग-अलग 'ई' प्रकार के ताले और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवश्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य शंटिंग करने के लिये होती है, 'ई' प्रकार के लाक से तभी निकाला जा सकता है जब सम्बन्धित टोकेनलैस यन्त्र ''लाइन क्लोज़्ड'' अथवा ''ट्रेन गोइंग टू;'' स्थिति में हो। रिलीज़ होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय। विवरण के लिये परिशिष्ट 'ख' देखें।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग** : यहाँ कोई साइडिंग नहीं है।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि,** : यहाँ कोई साइडिंग नहीं है।

9. **असामान्य परिस्थितियाँ** :

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया** :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणो के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहॉ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

2.(ख) **<u>वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-</u>**

(i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन कलीयर लिया / दिया जाय।

2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. यदि कोई मोटर चालित कॉंटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कॉंटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कॉंटें पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त कॉंटों के उपयुक्त संचलन की जॉंच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कॉंटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कॉंटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अँकित किया जाना चाहिये।

(ख) **<u>क्रैन्क हैण्डिल द्वारा कॉंटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि</u>** :-

सिगनलैलिंग परिशिष्ट 'ख' का पैरा 6.1 देखें।

(ग) **<u>कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण</u>** :-

(घ). **<u>कॉंटों, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना</u>** :

संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा को देखें।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.1 **संचार साधनों की पूर्ण विफलता** :

(1) **संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है** :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –

(क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।

(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।

(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन (यदि उपलब्ध है) एवं बी०एस०एन०एल०फोन

(ड़) नियन्त्रण दूरभाष ,

(च) वी० एच० एफ० सेट

(2). **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन** :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।

(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 **संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी** -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड मे इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को ''आन'' स्थिति मे पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियो का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियो का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटें के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियॉ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

(जे०पी०शर्मा) (जवाहर राम)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4. **<u>सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियॉ</u> :**

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. **<u>दोहरी लाइन पर अस्थायी रुप से इकहरी लाइन का संचालन</u>** : कुछ नही।

9.3. **<u>बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान</u> :**
अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।
विशेष रुप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4 **<u>विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश</u> :**

(क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते है।

(ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आई०पी०एस० उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि स्टेशन मास्टर कक्ष में प्रदत्त आई०पी०एस० स्थिति सूचक पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये **ACK/Reset** पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आई०पी०एस० सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। (आई०पी०एस० सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट ''ख'' देखें)

(ग) जब जनरेटर सेट चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर जनरेटर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हैण्डिल के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेगें। जब जनरेटर चालू होता है, यह चेन्ज ओवर स्विच के द्वारा प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध किया जाता है।

(घ) जब जनरेटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे।

(ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घंटे से अधिक नही चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर 4 घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।

(च) डीजल जनरेटर के 4 घंटे चल लेने के उपरान्त 1 घंटा विश्राम के लिये रोक देना चाहिये जिसके बाद उसे आवश्यकतानुसार पुनः 4 घंटा चलाया जा सकता है। यदि जनरेटर चलाने की आवश्यकता जारी रहती है तो जनरेटर को 4 घंटे चलाकर 1 घंटा विश्राम देने का चक्र रखा जा सकता है।

(छ) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगें जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन स्टेशन मास्टर द्वारा अँकित की जायेगी।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ज) स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचलन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेगें। स्टेशन मास्टर निम्न प्रारुप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटो के साथ ही साथ रखेंगे।

प्रारुप

1 **व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनित्र प्रचालन** :

क्र० सं०	तिथि	आई०पी०एस०की चार्जिंग समय	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. **डीजल का उपयोग** :

क्रम संख्या	दिनाँक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी :- तत्काल सन्दर्भ के लिये उक्त अनुच्छेदों के सुसंगत साधारण एवं सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । सन्दर्भित नियम सम्पूर्ण नही है। अतः सभी साधारण एवं सहायक नियम अथवा अथवा समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों/ निर्देशों एवं परिपत्रों का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

(क) **अप छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) **डाउन छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 6 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर** : परिशिष्ट ”ङ” देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम** :

कोहरे के समय फॅाग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॅाग सिगनल पंजिका मे अलग से तैयार की जायेगी ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

13. **<u>परिशिष्टों की सूची</u> :**

परिशिष्ट ”क” समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट ”ख” संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट ”ख” के अनुलग्नकः-

अनुलग्नक-1 मोटर प्वाइन्ट मशीन का क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालन

अनुलग्नक-2 कलर लाइट सिगनलो को प्रकाशित करने की व्यवस्था

परिशिष्ट ”ग” टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) - **इस स्टेशन पर लागू नहीं है।**

परिशिष्ट ”घ” गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट ”ङ” स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट ”च” डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम - **इस स्टेशन पर लागू नहीं है।**

परिशिष्ट ”छ” विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम - **इस स्टेशन पर लागू नहीं है।**

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रुपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखाने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यो से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभॉति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको,डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लघंन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यो के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रुप से करेगें।

(घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।

2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना।

5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।

6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।

7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।

8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।

9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।

10. कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।

11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नही हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।

12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. <u>गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य</u>

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यो के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

<u>गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान एवं शंटिग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगें</u> :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिंगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।

2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।

3. विफलता की स्थिति मे सुंनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।

4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।

6. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना

8. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।

9. कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर, गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

10. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-

i) सिगनल, कॉटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।

ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।

13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी :- विफलता की स्थिति मे जब कॉटें, कॉटेवालें द्वारा प्रचालित होते हों, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्यः-

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये विस्तृत अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

परिशिष्टि "ड़"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	हाथ सिगनल बत्ती	- 06 बैट्री आपरेटेड - 06 के० आयल, (गेट सं० 18/C, 19/C] 1/Spl)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	- 06 हरी तथा 12 लाल
3.	पटाखा सिगनल	- 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	- 04 तालो सहित
5.	क्लैम्प	- 04 तालो सहित
6.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	- 01
7.	फायर बकेट	- 06
8.	अग्निशामक यन्त्र	- 02
9.	लकड़ी के गुटके	- 04

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

परिशिष्ट "ग"

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

" लागू नहीं "

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

परिशिष्ट “छ”

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनॉक सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/2 मन्धना

<u>परिशिष्टि "च"</u>

<u>डी०के० स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस०, और बाहरी साइडिंगों के सचांलन नियम</u>

" लागू नहीं "

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर